न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ईन्दपुर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

प्रा0पत्र	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/7/16	03.03.2016	21.06.2018

उनवान

1. कालू पुत्र मिठठू जाति मेव निवासी ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
...................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।
.... अप्रार्थी

(प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.25 हैक्ट0 जो सम्वत 2058 से पूर्व गत खसरा नम्बर 1043 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी जो प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदार की आराजी है और प्रार्थी मौके पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी सम्वत 2052 में लटकन सिंह पुत्र सौदागर जाति रायसिख के नाम दर्ज हो गई जिसे शुद्धि पत्र सं0 3 दिनांक 04.10.96 के जर्ये शुद्ध कर प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हो गई थी जिसका नोट जमाबन्दी सम्वत 2052 में नोट भी लग गया था। परन्तु बन्दोबस्त सम्वत 2058 में उक्त आराजी पुनः लटकनसिंह पुत्र सौदागर सिंह के नाम दर्ज हो गई जो बन्दोबस विभाग के कर्मचारियो की लापरवाही के कारण गलत इन्द्राज हुआ है जिससे प्रार्थी पाबन्द नही है। जो काबिल दुरूस्ती है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हाल जमाबन्दी में से लटकन सिंह पुत्र सौदागर सिंह रायसिख का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि सम्वत 2052 की जमाबन्दी के खाता सं0 260 में लगे नोट शुद्धिपत्र सं0 3/4.10.96 को आधार मानकर शुद्धि नही की जा सकती या तो प्रार्थी उक्त शुद्धिपत्र की नकल संलग्न करे या वह आधारभूत रिकार्ड संलग्न करें जिसके आधार पर शुद्धिपत्र सं0 3 स्वीकृत हुआ है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर ग्राम पंचायत ईन्दपुर में दिनांक 21.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.25 हैक्ट0 से लटकन सिंह पुत्र सौदागर सिंह रायसिख का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ईन्दपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)